36

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

निग-2658-I-16

1. शांतिबाई पत्नी भैयन यादव,
2. सविता पुत्री भैयन यादव,
   निवासी मतौल उगड तह. खरगापुर
   जिला टीकमगढ(म.प्र.) .....आवेदिकागण

//विरूद्ध//

1 लल्लू तनय भुमानीदीन,
2: दयाराम तनय भुमानीदीन
   निवासी मतौल उगड तह. खरगापुर
   जिला टीकमगढ(म.प्र.) .....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदिका न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ म०प्र० प्रकरण क्रमाँक 257/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दि. 02–06–2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार भैयन यादव की पत्नी आवेदिका क्रमांक 1 शांतिबाई एवं आवेदिका क्र. 2 पुत्री है विवादित भूमि भूमि ख.नं. 321, 234, 94, 98,141, 143, 148, 154, 155, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 145, 192, 233, एवं मौजा खेरा में भूमि ख.नं. 433, 434, 431, 438, 440, 445 हे0 के स्वत्वधारी खातेदार भैयन यादव के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी प्र.क्र. 17/अ–6/2010–11 आदेश 23/07/2011 में तहसीलदार खरगापुर द्वारा उक्त भूमि में से ख.न. 433, 434, 431, 438, 440, 445 में यह स्वीकार किया जा चुका है कि मृतक भैयन यादव की मृत्यु हो चुकी है और उसकी वैद्य वारिस पुत्री सविता पुत्री भैयन यादव एक मात्र रूप से होने से उसके नाम नामांतरण का आदेश दिया गया है। और इस आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई है इसलिए पुनरीक्षणकर्ता क्र.2 सविता को भैयन की उत्तराधिकारी होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील में आवश्यक पक्षकार होने और पारित आदेश की जानकारी होने पर अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे निरस्त किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2658-एक/2016 जिला टीकमगढ़ शांतिबाई विरूद्ध लल्लू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 257/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 02-06-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 25-07-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	
4.1.19	4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	

किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 1.19
सदस्य